


कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

संशोधन आदेश

इस कार्यालय द्वारा जारी समसंख्यक आदेश क्रमांक-शिविरा-मा/संस्था/सी-8/पेंशन आक्षेप/2012 दिनांक-12.04.18 में उनके नाम के सम्मुख निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है:-


क्र.सं.	नाम आशार्थी मय पदस्थापन स्थान(सर्वश्री),	आदेश में क्रम संख्या	वांछित संशोधन
1	सरोज काद्यान, व्याख्याता (वाणिज्य), द्वारिकापुरी, शास्त्रीनगर, जयपुर	19	सेवा निवृत्ति तिथि 30.09.1961 के स्थान पर सेवा निवृत्ति तिथि 30.09.2021 पढा जावे।

शेष शर्तें मूल आदेशानुसार यथावत रहेगी।

  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,  
बीकानेर  
दिनांक:- 15.05.18

क्रमांक-शिविरा-मा/संस्था/सी-8/पेंशन आक्षेप/ 2012 | 80  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- 1 शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 2 निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 3 संबंधित शिक्षा उप निदेशक (माध्यमिक)
- 4 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)
- 5 सिस्टम एनालिसिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय को विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ।
- 6 संबंधित प्रधानाचार्य/संबंधित प्राध्यापक द्वारा संस्था प्रधान।
- 7 निजी/रक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,  
बीकानेर